लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3565
दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा क्लस्टरों की प्रगति

3565. **डॉ. निशिकांत दुबे:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में हथकरघा संकुलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में हथकरघा संकुल विकास परियोजनाओं की प्रगति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत कोई विशिष्ट क्षेत्र अथवा राज्य चिन्हित किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास देश में घटते हथकरघा उद्योग को समर्थन देने के लिए कोई रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के घटक क्लस्टर विकास कार्यक्रम 2015-16 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में उन्नत करघे और सहायक उपकरण, वर्कशेड का निर्माण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, उत्पाद और डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन आदि जैसे विभिन्न इंटर्वेंशन्स के माध्यम से हथकरघा कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 (30.11.2024 तक) तक वित्तीय सहायता प्राप्त हथकरघा क्लस्टरों की राज्य-वार संख्या और प्रगति अनुबंध में दी गई है।

(ग): हथकरघा कामगारों की आवश्यकता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा हथकरघा पॉकेटों की पहचान की जाती है और तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

(घ): हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और हथकरघा कामगारों के कल्याण हेतु शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय देश भर में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टरों की पहचान की जाती है और उन्हें उन्नत करघे और सहायक उपकरण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड का निर्माण, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य बुनियादी ढांचे, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न इंटर्वेंशन्स के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय, कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत लाभार्थियों के दरवाजे तक यार्न की ढुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करता है तथा कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करता है।

अनुबंध

दिनांक 17.12.2024 को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3565 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

2015-16 से 2024-25 (30.11.2024 तक) के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त हथकरघा क्लस्टरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित्तीय सहायता प्राप्त क्लस्टरों की सं.	पूर्ण/बंद किये गये क्लस्टरों की संख्या	चालू क्लस्टरों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	93	54	39
2	अरुणाचल प्रदेश	33	11	22
3	असम	88	59	29
4	बिहार	32	13	19
5	छत्तीसगढ़	14	9	5
6	गुजरात	8	3	5
7	हिमाचल प्रदेश	18	8	10
8	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	16	12	4
9	झारखंड	30	30	0
10	कर्नाटक	9	7	2
11	केरल	19	7	12
12	मध्य प्रदेश	14	6	8
13	महाराष्ट्र	13	7	6
14	मणिपुर	44	10	34
15	मेघालय	6	3	3
16	मिजोरम	28	7	21
17	नागालैंड	17	13	4
18	ओडिशा	34	30	4
19	राजस्थान	3	1	2
20	सिक्किम	2	1	1
21	तमिलनाडु	76	52	24
22	तेलंगाना	35	7	28
23	त्रिपुरा	16	4	12
24	उत्तर प्रदेश	76	35	41
25	उत्तराखंड	3	1	2
26	पश्चिम बंगाल	39	9	30
	कुल	**766**	**399**	**367**

****